

कोविड - १९

अलगाव या अलग रहने की स्थिति से बहार आने के लिये
योजना



तारीख	उपाय	शर्तें	
सामान्य नियम ०४/०५	बीमार लोगों का घर पे अलग से रहना अनिवार्य है और उनपे निगरानी रखी जाये। आपका फ़र्ज़ है के घर के जरुरी चीजों का संग्रह करके रखें। समारोह और 100m2 जितनी जगह पे जहाँ १० लोग ही समा सकते हैं वहाँ ५ व्यक्ति से ज्यादा लोग अंदर जाने पे प्रतिबन्ध किया जाता है। अंतिमसंस्कार : परिवार के सदस्य हिस्सा ले सकते हैं।		
धार्मिक समारोह : सामुदायिक समारोह को मानाने के लिए सामान्य स्वास्थ्य निर्देशालय द्वारा निर्धारित किये गए नियमों का पालन किया जायेगा जिसमे धार्मिक स्वीकारोक्ति भी शामिल होगी। ३०-३१/०५			
सार्वजनिक वाहन ०४/०५	क्षमता २/३	चहेरे पे मास्क पहनना अनिवार्य है / स्वच्छता और सफाई	
काम / व्यवसाय / नौकरी ०४/०५	अपना पेशेवर काम दूरसंचार पद्धति से काम करना जारी रख सकते हैं, जब भी काम ऐसे करने की अनुमति दे		
	०१/०६	आंशिक रूप से दूरसंचार पद्धति से काम करना, समय के अंतर की वजह से या फिर वीडियो कॉल करके	
सार्वजनिक सेवाएं ०४/०५	जनता को व्यक्ति की हाज़री में सेवा देने के लिए इन सरकारी दफ्तरों को एकत्रित किया गया है (फाइनेंस, कन्सेर्वेटरीआ वौरह)	चहेरे पे मास्क पहनना अनिवार्य है / पहले से अपॉइंटमेंट लेना आवश्यक है	
	०१/०६	लोज़ा द सीददाउ	
व्यवसाय और रेस्टोरेंट ०४/०५	स्थानीय व्यापार : 200m2 तक की जगह वाली जिन दुकानों का दरवाज़ा गली या रास्ते की तरफ हो ब्लूटूथ पारलर्स और उस जैसी ओर दुकाने। पुस्तक की दुकानें और गार्डीयों (ऑटोमोबाइल) का व्यवसाय, उसका क्षेत्र चाहे कितना भी हो।	- दुकानें : चहेरे पे मास्क पहनना अनिवार्य / जो सुबह के १० बजे से खुलेंगी	
	१८/०५	400m2 तक की जगह वाली जिन दुकानों का दरवाज़ा गली या रास्ते की तरफ हो या 400m2 तक की जगह वाली की दुकानें (या फिर इससे ज्यादा जो वहाँ की अधिकारी तय करेंगे) रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी और पेस्ट्री शॉप, खुली जगह में टेबल वाले रेस्टोरेंट	- ब्लूटूथ पार्टर उसके जैसी ओर दुकानें, पहले से अपॉइंटमेंट लेनी है और कुछ विशिष्ट शर्तें भी होंगी
	०१/०६	400m2 क्षेत्र से अधिक वाले क्षेत्र की दुकानें या फिर शॉपिंग सेंटर में जो दुकानें हैं	- रेस्टोरेंट्स : क्षेत्र की क्षमता से ५०% लोग ही उसमे जा पायेंगे, रात के ११ बजे तक खुले रहेंगे और कुछ विशिष्ट शर्तें भी होंगी
सस्कृति १८/०५	संग्रहालय, स्मारक और राजमहल, कला गृह और उसके जैसे और	टिकट पहले से ली हुई हो और कक्ष की क्षमता से कम लोग ही जिसमे शारीरिक दुरी बनी रहे	
	०१/०६	सिनेमागृह, नाट्यगृह, प्रदर्शन कक्ष	
विद्यालय और सामाजिक संस्थाएं १८/०५	११वीं और द्वासरी और तीसरी कक्षा के प्रशिक्षण दिया जायेगा (सुबह के १० से शाम के ५ बजे तक) विकलांग लोगों की ओर बालकों की सामाजिक शालाये (जिसका ध्येय परिवार को मदद करना है)	विद्यालय : चहेरे पे मास्क का अनिवार्य (बालवाड़ी और शिशुगालन गृह के बच्चे छोड़कर)	
	०१/०६	शिशुपालक गृह / प्राथमिक शाला / स्कूल खत्म हो जाने के बाद का समय	
	०४/०५	पुष्टकालय	
खेल कूट ०४/०५	खुली हवा में व्यायाम या कोई खेल खेलना	कपड़े बदलने का कमरा और स्विमिंग पूल के उपयोग के बगैर	
	३०-३१/०५	फुटबॉल : पहले चरण की फुटबॉल की प्रतियोगिता और पुर्तगाल कप के खेल	

सामान्य शर्त (उपाय) :

बाजार में चहेरे पे पहनने के मास्क और कीटाणुनाशक प्रवाही या जेल उपलब्ध किया जायेगा / जगहों की नियमित तौर पे सफाई की जाएगी / क्षेत्र की क्षमता से कम लोगों का जमा होना / हाथों की सफाई और सौंस लेने में खाल रखें / २ लोगों के बिच २ मीटर का शारीरिक अंतर

यह निर्णय का हर १५ दिन के बाद पुनः मूल्यांकन किया जायेगा